

राजस्थान-सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 322/2020

बउनवान

हरिसिंह पुत्र धन्ना जाति बंजारा निवासी ककोड़ीखेड़ा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारों
(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार हरनावदाशाहजी, तह0 छीपाबड़ौद
(रेस्पोंडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :- 1- श्री जयेश सक्सेना अभिभाषक (अपीलांट)
2- परोकार सरकार (रेस्पोंडेन्ट)

निर्णय दिनांक 03.11.2020

अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, हरनावदाशाहजी के प्रकरण संख्या 726/2015 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 12.12.2015 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम ककोड़ीखेड़ा की सरकारी भूमि किस्म पठार सम्वत् 2072 में खसरा नम्बर 81 की रकबा 8 बीघा भूमि पर फसल मक्का एवं सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 60 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 400/- रूपये तावान से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 02.11.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोंडेन्ट को जयें नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने तथा बिना जवाब का मौका दिए एकपक्षीय कार्यवाही फरमाकर अपीलांट को दंडित फरमाने में कानूनी भूल की है जो काबिले निरस्तनीय है। यह कि सरकारी भूमि पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है। पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को दंडित करने में कानूनी भूल की है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का समस्त अवलोकन न कर अपीलांट को दंडित फरमाने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर अपीलांट को सुनवाई का मौका दिए बिना दंडित फरमाने में कानूनी भूल की है। उक्त निर्णय की पालना में अपीलांट को दिनांक 23.10.2020 को गिरफ्तार किया जाकर जेल भिजवा दिया गया है, वर्तमान में अपीलांट न्यायिक अभिरक्षा में है। अपील की सुनवाई का श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान् को प्राप्त है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार हरनावदाशाहजी के निर्णय दिनांक 12.12.2015 को निरस्त फरमाया जावें।



इसके विपरीत पेरोंकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलान्ट द्वारा सरकारी भूमि किस्म पठार पर फसल सोयाबीन एवं मक्का की बोई जाकर अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया, जिसकी तामील करवाई गई। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर मिला है। अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी सम्वत् 2071 रबी में इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 439/2015 निर्णय दिनांक 20.03.2015 की पालना में दण्डित किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा मौके से बेदखल किया गया था। अपीलान्ट द्वारा पुनः सम्वत् 2072 मे किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे आता है। प्रकरण में अतिक्रमित रकबा 8 बीघा अधिक है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मेरे द्वारा उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया, जिसकी तामील करवाई गई। अपीलान्ट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार हरनावदाशाहजी में अनुपस्थित रहा है। हम पेरोंकार सरकार के कथन से पूर्णतया सहमत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधिसंगत प्रतीत होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, हरनावदाशाहजी द्वारा प्रकरण संख्या 726/2015 मे अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 12.12.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति० जिला कलक्टर,
बारां